


iii	वनस्पति की सघनता	लागू नहीं है।
iv	वृक्षों की प्रजातिवार तथा व्यास श्रेणीवार	लागू नहीं है।
v	भूमि कटाव के लिये वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गंभीर रूप से क्षेत्र का हिस्सा है या नहीं	नहीं है।
vi	क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य प्रकोष्ठ, आरक्षित जीव मण्डल, रिजर्व आदी का एक हिस्सा है यदि हां तो उसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें।	राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य प्रकोष्ठ, आरक्षित जीव मण्डल रिजर्व का हिस्सा नहीं है।
vii	विभिन्न प्रयोजनों के लिये आरक्षित वन भूमि का मदवार ब्यौरा	राजस्व वन भूमि 1.800 हे.
viii	क्षेत्र में पाये जाने वाली जाने वाली दुर्लभ, संकटपन वन जातियों व प्राणी जगत की प्रजातियां।	इस क्षेत्र में दृष्टीगोचर नहीं हुई हैं।
ix	क्या प्रवासी जन्तुओं के लिये एक वास स्थल है या उसके लिये प्रभाग भूमि भाग है।	ऐसा प्रतीत नहीं होता है।
x	प्रस्ताव में दर्शित क्षेत्र का कोई अन्य महत्व।	नहीं हैं।
5	पारियोजना के कारण विस्थापित वयकितयों का बयौरा	
i	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	नहीं हैं।
ii	विस्थापित होने वाले अनुसूचित जातियों के परिवारों की संख्या	नहीं हैं।
iii	विस्तृत पुनर्वास योजना	नहीं हैं।
6	क्षतिपूरक पुनर्वास योजना	
i	क्षतिपूरक वन रोपण के लिये शिनाख्त किये गये गैर वनक्षेत्र, अभिनित वन क्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्सों की संख्या, प्रत्येक हिस्से का आकार	नहीं हैं।
ii	क्षतिपूरक वन रोपण के लिये शिनाख्त गैर वन/अतिक्रमित वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सामाओं को दर्शने वाला मानचित्र	नहीं हैं।
iii	रोपण की जाने वाली प्रजातियां, कार्यान्वयन एजेंसी, समय सूचि, लागत ढाचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूरक वन रोपण	नहीं हैं।
iv	क्षतिपूरक वन रोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	नहीं हैं।
v	वन रोपण के लिये क्षतिपूरक वन रोपण हेतु शिनाख्त किये गये क्षेत्र कि उपयोगिता के बारे में और प्रबंध की दृष्टि से सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र	नहीं हैं।
vi	क्षतिपूरक वन रोपण के लिये वनेत्तर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र (यदि लागू है)	नहीं हैं।
7	परिषण लाईन के बारे में ब्यौरा केवल परिलक्षण लाईन प्रस्तावों के लिये	लागू नहीं है
8	सिंचाई/जल विद्युत परियोजना हेतु	लागू नहीं है
9	सडक/रेल लाईन के बारे में ब्यौरा	
i	पट्टी की अपेक्षित लम्बाई चौडाई	लागू नहीं है

	ii	सड़क की कुल लम्बाई	लागू नहीं है
	iii	पहले बनाई जा चुकी सड़क की लम्बाई	लागू नहीं है
	iv	वनक्षेत्र से होकर गुजरने वाली सड़क की लम्बाई	लागू नहीं है
10	खनन प्रस्ताव के बारे में		
	i	कुल खनि पट्टा क्षेत्र और अपेक्षित वनक्षेत्र	नहीं हैं।
	ii	प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि	नहीं हैं।
	iii	वनक्षेत्र और गैर वनक्षेत्र में प्रत्येक खनिज/कच्चे धातु का अनुमानित भण्डार	नहीं हैं।
	iv	खनिज/कच्चे धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन	नहीं हैं।
	v	खनन कार्य का किस खुली खदान/भूमिगत	नहीं है।
	vi	चरणबद्ध सुधार योजना	नहीं हैं।
	vii	जिस क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा उसका ढलान	नहीं है।
	viii	पट्टा संलग्न की प्रति संलग्न किया जाये	नहीं हैं।
	i	केवल नविनीकरण हेतु	
	ix	नियुक्त किये जाने वाले श्रमिकों की संख्या	नहीं हैं।
	x	निम्नलिखित के लिये अपेक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल	नहीं हैं।
	a	खनन	नहीं हैं।
	b	खनिज/कच्चे धातु भण्डार	नहीं हैं।
	c	अधिभार का जमा करना	नियमानुसार
	d	ऑजारों और मशिनों का भण्डार	नहीं हैं।
	e	भवनों, बिजली घरों, कार्यशालाओं, आदि का निर्माण	नहीं हैं।
	f	शहर/आवासों कालोनीयां	नहीं हैं।
	g	सड़क/राजमार्ग/रेलवे लाईन का निर्माण	नहीं हैं।
	h	अपेक्षित वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि का सदुपयोग योजना	नहीं हैं।
	xi	परियोजना से प्रभावित ऊपर (क से ज) तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिये वन भूमि मांग की गई है, उनकी वन क्षेत्र के बाहर न किये जाने के क्या कारण है।	नहीं हैं।
	xii	खनन और संबंधित गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होने वाली सम्मिलित क्षति और प्रभावित होने वाली वृक्षों की संख्या	नहीं हैं।
	xiii	बारहमासीय नदियों, मार्गों, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारणों और जीव मण्डल रिजर्वों से खनन क्षेत्र की दूरी	नहीं हैं।
	xiv	पुनः प्रयोग के लिये उपरीमुद्रा के भण्डारण की प्रक्रिया	नहीं हैं।
	xv	भूमि का खनन कार्यों में अपेक्षित अवतलन की मात्रा, जल और वन तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव	नहीं हैं।

11	लागत लाभ विश्लेषण	संलग्न है।
12	क्या पर्यावरण स्वीकृती अपेक्षित है, हां/नहीं यदि हां तो क्या उसके लिये अपेक्षित ब्यौरा प्रस्तुत कर दिये गये हैं हां/नहीं	लागु नहीं है।
13	क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य किया गया है, हां/नहीं यदि हां तो	नहीं
	i शुरु होने के तारीख सहित उसके ब्यारे	-
	ii अधिनियम के उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारी	-
	ii गलती करने वाले अधिकारी के खिलाफ की गई/जा रही कार्यवाही	-
	iv क्या अभी भी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कार्य किया जा रहा है	-
14	कोई अन्य सूचना	-
15	संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा	ब्यौरा सूची संलग्न है।
16	निम्नलिखित पहलुओं के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन विभाग के अध्यक्ष के विस्तृत विचार अर्थात् -	
	i इसमें सम्मिलित वन भूमि से इमारती लकड़ी और अन्य वन उत्पादन	नहीं है।
	ii क्या जिला इमारती लकड़ी और जलाउ लकड़ी की आपूर्ति पर आत्मनिर्भर है	नहीं है।
	iii परियोजना के कारण निम्न व्यवस्थाओं पर असर	
	1. ग्रामीण आबादी के लिये जलाने की लकड़ी की अर्थ व्यवस्था और जिविका पर	कोई प्रभाव नहीं होगा।
	2. आदिवासीयों और पिछड़े समुदायों की अर्थ व्यवस्था और जीविका पर	कोई प्रभाव नहीं होगा।
	iv कारणों सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने के लिये मुख्य वन संरक्षक/ वन विभाग के अध्यक्ष कि विशिष्ट सिफारिश	राष्ट्रहित में विद्युत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परियोजना स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त उद्देश्य के लिये सभी अन्य विकल्पों का पता लगा लिया गया है और अपेक्षित उद्देश्य के लिये राजस्व वनभूमि की मांग न्यूनतम है।


वन मण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल


कार्यपालन अभियंता, (सिविल) संभाग
छ. रा. वि. पारे. क. मर्या. रायगढ़ (छ.ग.)
Executive Engineer (Civil-Transp.)
Division, C.S.P.T.C.L. Raigarh